बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि0,

"खाद्य भवन", दारोगा राय पथ, आर0ब्लॉक, रोड नं0 2, पटना 800001

कार्यालय आदेश

श्री जागेश्वर चौधरी, बिक्रीकर्ता(नि0) राज्य खाद्य निगम,समस्तीपुर के विरूद्ध निगम ज्ञापांक 7156 दिनांक 20.9.04 से निम्न लिखित आरोप गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलायी गई–

"श्री जागेश्वर चौधरी, जब बेतिया जिला में पदस्थापित थे, तो इनके द्वारा वर्ष 96–97,97–98,2001–2002 के लिए च0व0कर्म0 के बकाये वेतन के भुगतान हेतु विपत्र तैयार किया गया। उनके द्वारा तैयार किये गये विपत्र के आधार पर निगम पत्रांक 5293 दिनांक 19.07.04 से प्राधिकार पत्र निर्गत किया गया। जिला प्रबंधक, बेतिया द्वारा प्राप्त प्राधिकार पत्र से संबंधित विपत्र को पुनः जाँच कर विपत्र पंजी में संधारित करने का आदेश दिया गया। उनके द्वारा तैयार किये गये विपत्रों के जाँचोपरान्त पाया गया कि विभिन्न च0व0कम0 के बकाये वेतन की राशि,देय राशि से 30,442/– अधिक का विपत्र तैयार किया गया है। इस प्रकार उनके द्वारा निगम को आर्थिक हानि पहँचाने का प्रयास किया गया, जो निगम के सर्विस कंडक्ट एण्ड डिसिप्लीनरी रूल्स का स्पष्ट उल्लंघन है। निगम मुख्यालय ज्ञापांक 6511 दिनांक 25.08.04 के द्वारा श्री चौधरी को निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय जिला प्रबंधक,समस्तीपुर निर्धारित किया गया। श्री चौधरी को निगम मुख्यालय 7156 दिनांक 20.09.04 द्वारा प्रपत्र 'क' एवं प्रदर्श एवं साक्ष्य की प्रति देते हुए कारण पृच्छा की गयी।"

उपर्युक्त उल्लेखित आरोप यथा बेतिया पदस्थापन अवधि में विभिन्न कार्मिकों के बकाये देय वेतन से अधिक का विपत्र तैयार कर निगम को आर्थिक क्षति पहूँचाने एवं वित्तीय अनियमितता के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई के संचालन के उपरान्त श्री जागेश्वर चौधरी,बिक्रीकर्ता(नि0) राज्य खाद्य निगम, समस्तीपुर को बिहार राज्य खाद्य निगम के सर्विस कंडक्ट एण्ड डिसिप्लीनरी रूल्स 2001 की धारा–27(iv) के आलोक में निगम मुख्यालय ज्ञापांक 48 दिनांक 04.01.2005 से सेवा बर्खास्त किया गया। श्री चौधरी द्वारा उक्त मुख्यालय आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका दाखिल की गयी एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के CWJC No-23405/2012 जागेश्वर चौधरी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 11.02.2014 को निम्न आदेश पारित किया गया–

"I accordingly quash the impugned orders dated passed by the respondent No.1. I also quash the revisional order dated 01.03.2007 (annexure-1/A) and the appellate order dated 30.10.2012(annexure-1/B). The respondents are directed to reinstate the petitioner forthwith. The petitioner shall also be entitled to all backwages from the date of his dismissal till date of reinstatement. Such backwages must be paid to the petitioner within a period of six months from the date of his reinstatement. **The respondents shall, however, have the liberty to start proceeding afresh from the stage of enquiry against the petitioner.** Let the original records produced before this court be returned back to learned counsel for the Corporation.This writ application is, accordingly, allowed."

उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में निगम मुख्यालय पटना के ज्ञापांक–11868 दिनांक–23.11.2017 द्वारा पुनः आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्रवाई संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी–सह–मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण के द्वारा दिनांक–18.09.2018 को श्री जागेश्वर चौधरी के विरूद्ध चलाये गये विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन/अधिगम में श्री चौधरी के द्वारा विभिन्न कार्मिकों के बकाये देय वेतन से अधिक का विपत्र तैयार कर निगम को आर्थिक क्षति पहूँचाने एवं वित्तीय अनियमितता करने संबंधित आरोप को प्रमाणित करते हुए अंकित किया गया कि श्री चौधरी की स्वीकारोक्ति एवं अभिलेखिय साक्ष्य के साथ पदाधिकारियों के बयान से स्पष्ट है कि श्री चौधरी पूर्व से लेखा का कार्य करते आ रहे थे एवं उन्हें उसकी जानकारी थी। श्री चौधरी द्वारा तथ्यों को छिपा कर गलत वेतन विपत्र दूसरे को लाभ प्राप्त कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया एवं इससे निगम को आर्थिक क्षति पहूँचाने का असफल प्रयास किया गया,जो प्रमाणित होता है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम की छाया प्रति निगम मुख्यालय पत्रांक–10120 दिनांक–28.09.2018 के द्वारा श्री जागेश्वर चौधरी को उपलब्ध कराते हुए द्वितीय बचाव पत्र समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। श्री चौधरी द्वारा निगम मुख्यालय,पटना में दिनांक–22.10.2018 को द्वितीय बचाव पत्र समर्पित किया गया। उनके द्वारा वस्तुतः मूल रूप से उन्हीं तथ्यों की पुनरावृति की गयी है जो संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित बचाव पत्र में की गयी थी। फलतः श्री चौधरी के द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है।

सम्यक समीक्षोपरान्त वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के Service Conduct and Disciplinary Rules 2001 के Rule 27 में वर्णित धारा के आलोक में निम्न शस्तियां अधिरोपित किया जाता है–

1. श्री जागेश्वर चौधरी का सेवान्त लाभ(उपादान,अव्यवहृत अवकाश के समतुल्य राशि) पूर्ण रूप से जब्त किया जाता है।
2. श्री चौधरी को निलंबन अवधि दिनांक 25.08.04 से 04.01.2005 तक जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देय होगा।

3/12/2018
प्रबंध निदेशक

ज्ञापांकः–FDP-10:03:01:30:04 19363 दिनांक– 03/12/18

प्रतिलिपि–श्री जागेश्वर चौधरी,बिक्रीकर्ता(से0नि0),राज्य खाद्य निगम, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– विपत्र लिपिक,निगम मुख्यालय को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0मैनेजर,निगम मुख्यालय को सूचनार्थ प्रेषित। कृपया आदेश को अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि–जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम,समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–सभी उप महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक/सतर्कता शाखा,निगम मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–अपर सचिव,खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग,बिहार,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/12/2018
प्रबंध निदेशक